रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 1993/श्रावण 19, 1915
No. 150] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 1993/SRAVANA 19, 1915

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1993

संख्या 41/3/सी-I/93—दिनांक 4 अगस्त, 1993 के लोक सभा समाचार भाग-2 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

"संख्या 2298

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 331 के उपनियम (3) के अनुसरण में उक्त नियमों में लोक सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

नियम 9

नियम 9 के उप-नियम (1) में,

"अधिक से अधिक छः सभापतियों" के स्थान पर
"अधिक से अधिक दस सभापतियों" प्रतिस्थापित किया जाए"।

सी. के. जैन,
महासचिव।"

प्रमाणित

सी. के. जैन, महासचिव

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1993

No. 41|3|CI|93.—The following paragraph published in the Lok Sabh Bulletin—Part II, dated 4th August, 1993, is hereby published for genera information :—

"No. 2298

Amendment to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Seventh Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedur and Conduct of Business in Lok Sabha (Seventh Edition), th following amendment approved by Lok Sabha to the said Rules hereby published :—

Rule 9

In Rule 9, Sub-rule (1),

for "not more than six Chairmen"
substitute "not more than ten Chairmen".

C. K. JAIN
Secretary-General"

CERTIFIED

C. K. JAIN, Secy.-Genera

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993